न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई

(पीठासीन अधिकारी – त्रिलोक चन्द मीना, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 25/2021
दायरी दिनांक : 23.02.2021

उनवान

1. गिर्राज पुत्र श्योराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी निजाम तन खटुम्बर तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)
2. प्रभुलाल पुत्र मंगला जाति गुर्जर निवासी ढाणी निजाम तन खटुम्बर तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)
3. रामेश्वर पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ढाणी निजाम तन खटुम्बर तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)
4. मीठालाल पुत्र रामनिवास जाति गुर्जर निवासी ढाणी निजाम तन खटुम्बर तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)
5. सुखराम पुत्र झुंथा जाति गुर्जर निवासी ढाणी निजाम तन खटुम्बर तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)
6. रामकरण पुत्र तेजा जाति गुर्जर निवासी ढाणी निजाम तन खटुम्बर तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)
7. सुबुद्धि पुत्र श्योराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी निजाम तन खटुम्बर तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)
8. रूपन्ता पत्नी रामराज जाति गुर्जर निवासी ढाणी निजाम तन खटुम्बर तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार निवाई

–अप्रार्थी

उपस्थितिः–

1. श्री गोपाल चौधरी (अधिवक्ता प्रार्थीगण)
2. अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः– 18.8.21

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण की ग्राम करीरिया में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1008/16 रकबा 10 बीघा कुल किता एक कुल रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि के आस–पास के खातेदार जबरन प्रार्थीगण की कृषि भूमि को दबाने पर आमादा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि की मेर व डोल को तोड़ने फोड़ने पर आमादा रहते है। इस कारण प्रार्थीगण उक्त आराजियात का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीमाओं को लेकर विवाद नहीं रहे। उक्त आराजियात के सम्बन्ध में किसी भी न्यायालय में वाद विचाराधीन नहीं है। नियमानुसार सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी शुल्क जमा कराने को तैयार है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस भेज करवाई गई। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब नहीं दिया जाकर सीधे बहस करना जाहिर किया गया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु कथन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थीगण के उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होने से पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नही की गई। हमनें उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संम्वत 2072–75 खाता संख्या 274 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन किया। बाद मनन एवं अवलोकन यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण विवादग्रस्त आराजी के खातेदार है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपनी कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायहित अन्तर्गत धारा 12 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम [illegible] स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निवाई को मौके कमिश्नर नियुक्त किया जाता है [illegible] कमिश्नर [illegible] आराजी खसरा नं. 178/16 रकबा [illegible] बीघा [illegible] रकबा [illegible] बीघा भूमि [illegible] कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। कमिश्नर फीस रु. 500/- [illegible] कार्यवाही [illegible] कार्यवाही [illegible] नियमानुसार राजकोष में जमा होने पर [illegible] तहसीलदार निवाई को भिजवायी जावे।

आदेश दिनांक 18/8/2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] हेतु पेश हो [illegible]

(त्रिलोक चन्द मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई